अति तत्काल
आर टी आई मामला

सं. 14036/376/2013-यू टी पी
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
* * *

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
दिनांक: 25/05/2013

सेवा में

श्री मोहम्मद महफूज आलम,
निवासी-एन-71/बी 58, पुराना चंद्रावल,
सिविल लाईन, दिल्ली-110054

विषय: **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आपका दिनांक 01.05.2013 का आवेदन।**

महोदय,

मुझे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आपके ऊपर उल्लिखित आर टी आई आवेदन (इस अनुभाग में 08.5.2013 को प्राप्त) का उल्लेख करने का निदेश हुआ है।

2. इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि आपके आवेदन में अस्पष्ट प्रश्न/सवाल हैं, जो कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 (च) के अन्तर्गत 'सूचना' की परिभाषा से परे हैं, इसलिए इस लोक प्राधिकारी के पास आपके आर टी आई आवेदन के संबंध में साझा करने के लिए कुछ नहीं है। तथापि, आपकी शिकायतें इस मंत्रालय के दिनांक 6 जुलाई, 2011 के पत्र सं. 14036/10/2011-यू टी पी तथा दिनांक 2 मई, 2012 के पत्र सं. 14036/10/2012-यू टी पी के तहत उनके द्वारा आवश्यक कार्रवाई करने हेतु पहले ही दिल्ली पुलिस को अग्रेषित की जा चुकी हैं।

3. इस उत्तर के संबंध में, गृह मंत्रालय में अपील प्राधिकारी का नाम एवं पदनाम श्री के.के. पाठक, संयुक्त सचिव (यू टी), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली है।

भवदीया,

(एस. सुधा)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी एवं
अवर सचिव (डी पी-II)
दूरभाष : 23092856

प्रति प्रेषित :

1. पुलिस उपायुक्त, लोक सूचना अधिकारी, पुलिस मुख्यालय, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली-आर टी आई आवेदन की एक प्रति इस अनुरोध के साथ संलग्न है कि अपेक्षित सूचना आवेदक को सीधे प्रदान की जाए। आवेदक ने अपेक्षित शुल्क इस मंत्रालय में जमा करा दिया है।

Issued with encl.
1635/1637
20/6.

A.4.4 लोक सूचना अधिकारी
अन्य उदय कार्ड धारी

सेवा में, जन सूचना अधिकारी 2826/RTI/2013
3/5/13

माननीय गृह मन्त्रालय
भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक,
दिल्ली-110001

विषय : यह तमाम शिकायतें जिन-जिन विभागों में दी गयीं उन सभी विभागों से इस पर की गयी कार्यवाही के जवाब देने हेतु।

1. प्रार्थी मो. ईकबाल, R/o N-71/B53, पुरानी चन्द्रावल, दिल्ली ने दिनांक 1.6. 2011 गृह मंत्रालय में अपनी शिकायत दिया था। इस पर गृह मंत्रालय ने क्या कार्यवाही की?

2. 25-5-2011 को पुलिस आयुक्त तथा 25-5-11 को केन्द्रीय सतर्कता आयोग को दी थी इस पर क्या कार्यवाही हुई। केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त वाले को ट्रान्सफर

3. 11-4-12 को माननीय गृह मंत्रालय दिया प्रार्थी मो. इकबाल ने N-71/B-53, पुरानी चन्द्रावल सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054 इस शिकायत पर गृह मंत्रालय ने क्या कार्यवाही की है।

4. यही शिकायत केन्द्रीय सतर्कता आयोग 30-5-12 को दिया गया है। मो. इकबाल N071/B-53, पुरानी चन्द्रावल, सिविल लाइन्स, दिल्ली-54 राकेश कुमार के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है? केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त बतायेंगे

5. मोबाइल नं. पर क्यों नहीं लगाया गया है जिस की फोटो कॉपी भी आपको दे रहा हूँ।

6. मेरी F.I.R. क्यों नहीं दर्ज की जा रही है?

7. राकेश कुमार पूर्व चौकी इन्चार्ज मजनू का टीला सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054 के पत्नी का भाई सरकारी विभाग में किन-किन पदों पर नियुक्त है, पद तथा विभाग का पता व नाम पता गृह मंत्रालय में है तो किस पद पर है इनके कितने भाई हैं क्या सरकारी पद पर कितने नियुक्त हैं। पद तथा विभाग का पता समेत बताया जाए।

8. राकेश कुमार पूर्व चौकी इन्चार्ज का प्रमोशन किस प्रकार से हुआ है। राकेश कुमार का जो प्रमोशन हुआ है दिल्ली पुलिस में कितने लोगों का इस प्रकार प्रमोशन हुआ है। राकेश कुमार की दिल्ली पुलिस में किस पद पर भर्ती हुई थी।

VS(Plg)

9. मेरे केस में सीनियर पुलिस ऑफिसरों ने इनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की? इनकी गलती नहीं थी तो यह कम्प्रोमाइज क्यों करवाये डरा धमका कर के। मेरे मोबाइल केस में F.I.R. यह क्यों नहीं दर्ज किये?

10. इस प्रकार कितने केस और किये हैं राकेश कुमार ने।

11. मेरी शिकायत को लेकर R.T.I. डालने वाले गुप्तेश्वर सिंह के खिलाफ फर्जी केस ट्रैफिक पुलिस की मिली भगत से क्यों बनाया है? आई.ओ. राकेश कुमार इसका कारण यह बताये।

12. गुप्तेश्वर सिंह का बयान इन्होंने क्यों नहीं लिया, जब गुप्तेश्वर सिंह का केस बनाया था राशन के आयल डिपो वाला इनसे क्यों मिलने आया था?

13. राकेश कुमार तेल डिपो वालों के साथ क्या साठ-गांठ थी?

14. गुप्तेश्वर सिंह की बदौलत ही मालती देवी N68/201, मजनू का टीला सिविल लाइन्स, दिल्ली को मिट्टी का तेल मिलना चालू हुआ। मालती देवी पर कई बार इस पर पुलिस चौकी गई पर पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं कि इस पर पुलिस का जवाब दे.......... मालती देवी की शिकायत 21-9-11 को गृह मंत्रालय में दिया गया है।

15. जयश्री B58, मजनू का टीला सिविल लाइन्स, दिल्ली-54 को चोरी की F.I.R. न दर्ज करने उसको पैसा देने के लिए कहा गया था इस पर राकेश कुमार जवाब दें इसकी चोरी की F.I.R. क्यों नहीं दर्ज की गई है? F.I.R. न दर्ज कराने के एवज में जयश्री के पास 5,000 रुपये भेजे गये थे, पर जयश्री ने पैसे लेने से इंकार कर दिया इसकी F.I.R. क्यों नहीं दर्ज की गयी? पांच हजार रुपये क्यों भेजे गये थे?

16. तमाम शिकायतों पर राकेश कुमार के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई।

17. राकेश कुमार जब से दिल्ली पुलिस में भर्ती हुआ इसके खिलाफ कितनी शिकायतें आई है।

18. गुप्तेश्वर सिंह ने माननीय सत्येन्द्र गर्ग जी के यहाँ 20.7.2011 को आपके कार्यालय में दिया ज्वाइंट सी.पी. ट्रैफिक ने इस शिकायत पर क्या कार्यवाही की है?

19. ट्रैफिक पुलिस D.C.P. North में गुप्तेश्वर सिंह ने कितनी शिकायतें की है उस पर क्या कार्यवाही की गई है।

20. इन्द्र कांस्टेबल जोकि पुलिस चौकी मजनू का टिला थाना सिविल लाइन्स में तैनात है उसके खिलाफ रोशन N71/A-21, पुरानी चन्दावल सिविल लाइन्स दिल्ली-110054 ने 10.9.2011 को माननीय गृह मंत्रालय में शिकायत दिया है। माननीय गृह मंत्रालय ने क्या कार्यवाही की है।

21. आज तक कितनी शिकायत इन्द्र कांस्टेबल के खिलाफ आई है जब से पुलिस चौकी मजनू का टिला में तैनात है।

22. मीरा देवी N68/389 अपनी झुग्गी रिपेयरिंग करा रही थी तो इन्द्र कांस्टेबल ने इस महिला से बत्तमीजी की थी। तथा क्या कह कर आया था। इन्द्र यह बताने का कष्ट करें।

23. H-25 मजनू का टिला सिविल लाइन दिल्ली में रहने वाले राजेन्द्र के लड़के को रेप के फर्जी केस में फसाने की धमकी दी थी। इन्द्र कांस्टेबल के खिलाफ इसमें क्या कार्यवाही की गयी?

24. गुप्तेश्वर सिंह ने 14.9.11 को अपील में विकास के हाथ से लिखित शिकायत लगाई थी क्या वह विकास गहलोत के हाथ से लिखा हुआ था कि नहीं।

25. A.S.I. रमेश चन्द्र के खिलाफ आज तक कितनी शिकायतें आई हैं। पुरानी चन्द्रावल में एक व्यक्ति अपनी झुग्गी रिपेयरिंग करा रहा था। उसे डरा धमका कर कितने पैसे वसूल किये थे?

26. 2011 में पति पत्नी की लड़ाई-झगड़े में पत्नी ने फिनायल पी लिया था तो उसको पति से हिन्दूराव हास्पिटल में क्या किया गया? एस.आई. योगेशचन्द्र ने कितने पैसे लिये? बताने का कष्ट करें।

27. A.S.I. रमेश चन्द्र जी बताने का कष्ट करें D.D. NO. 11 समय सुबह 10:25 दिनांक 14.4.12 इसकी F.I.R. आपने दर्ज क्यों नहीं किया? उसे एफ.आई.आर. न दर्ज करने के एवज में आपने ए.टी.एम. से पैसा देने की बात क्यों कर रहे थे? यदि आपकी कोई शिकायत करता है तो आप कहते हैं बेवजह वह शिकायत की गयी है। आप अपना कर्तव्य निभाते तो कोई शिकायत नहीं करता। इस पर D.C.P. North जवाब दें।

28. शिव प्रसाद बैरवा ने 8.8.2011 को शिकायत दिया था। इस शिकायत वाले दिन आपने उन व्यक्तियों से क्या कहा था?

29. सुखवीर हवलदार की केस में एक बार गुप्तेश्वर सिंह अनिल पाण्डे एवं गहलोत को एक साथ बुला करके बयान लिया जाए।

30. श्रीमान मुख्य सतर्कता आयुक्त आपके कार्यालय में 21.9.2012 को एक शिकायत गुप्तेश्वर सिंह ने दिया है उस पर आज तक बाहरी दिवार पर विज्ञापन पुलिस चौकी मजनू का टिला पर नहीं लिखा गया बताने का कष्ट करें। और आज तक [illegible]

31. अखबार की कटिंग लगाया गया है इस प्रकार के पुलिस वाले चोरी, छीना झपटी करने वाले कितने हैं, बताने का कष्ट करें।

32. 28.3.2011 की दोपहर 3 बजे स्नैचिंग का केस पीरबाबा पर हुआ था, उसकी F.I.R. क्यों नहीं दर्ज की गई। उस महिला का पता देने का कष्ट करें। क्या वह F.I.R. दर्ज नहीं कराई या पुलिस चौकी इन्चार्ज राकेश कुमार ने नहीं दर्ज किया?

33. अनिल पाण्डे के चोरी के केस में F.I.R. की जगह N.C.R. क्यों कटवाया गया।

34. तमाम शिकायतों पर जितनी भी प्रति लगा रखे हैं उसका जवाब देने का कष्ट कर तमाम विभाग जिनकी मोहर लगी है।

मेरी शिकायत में और जिन व्यक्तियों का नाम है उनसे मुझे कम्प्रोमाइज करने के लिए न कहा जाए तथा मेरे तथा मेरे परिवार में अभी तक किसी भी प्रकार का कोई केस नहीं है। R.T.I.

35. स्कूल वैन से आपके ट्रैफिक पुलिस वाले कितने रुपया मंथली लेते हैं। क्या कभी इन शिकायतों पर स्कूल वाले बच्चों से साधारण व्यक्ति बन करके कभी पूछ ताछ की गई है?

36. P.C, Sell North पुलिस की शिकायत पर पुलिस को क्यों बचाती है? जैसा कि रेखा की शिकायत में पी.जी.सेल ने उससे और उसके पति को धमका कर बयान लिखा कर हस्ताक्षर करवा लिया बताने का कष्ट करें।

37. माननीय गृह मंत्रालय ज्वाइंट सेक्रेटरी कमरा न. 9 नार्थ ब्लाइंट गृह मन्त्रालय में अनिल पाण्डे ने अपनी शिकायत 12.10.11 को दिया उस पर आपके मंत्रालय ने क्या कार्यवाही की है?

38. ज्वाइंट सी.पी. सत्येन्द्र गर्ग जी 10.8.11 को आपके कार्यालय में गुप्तेश्वर सिंह ने स्कूल वैन से मासिक पैसा वसूलने की शिकायत की थी आपने इस शिकायत पर क्या कार्यवाही की है।

39. दिनांक 10.8.11 को गुप्तेश्वर सिंह ने शिकायत की थी कि दिल्ली पुलिस की शिकायतों पर इन्क्वायरी करने में सिविल डिफेन्स को साथ क्यों नहीं की जाती?

40. दिनांक 4 9-12 को माल रोड पर आशीस कांस्टेबल एवं सब-इन्सपेक्टर ट्रैफिक के कितने स्कूल वैन का चालान किया और सुबह कितने बजे इनकी रवानगी की गयी? D.D. No. भी देने का कष्ट करें।

41. गमीरा देवी का A.C.P. P.G. Sell के ऑफिस ने क्या गमीरा देवी को डरा करके बयान लिया है। क्या गमीरा देवी ने कहा था कि इन्द्र कांस्टेबल ने मारा था। गमीरा देवी से A.C.P. PG Sell कम्प्रोमाइज कराने को प्रेरित किया है। इस पर क्या कार्यवाही हुई?

42. पुलिस चौकी मजनू का टिला सिविलाइन से लेकर के चन्दगी राम अखाड़ा तक रिंग रोड के बीच लगी लोहे की ग्रिलें क्या P.W.P. ने जमा किया है या चोरी हुआ है। चोरी हुआ है तो किस चौकी इन्चार्ज के समय में चोरी हुआ है?

43. गुप्तेश्वर सिंह का वर्दी फाड़ने के केस का फर्जी बनाया गया है। उस समय A.S.I. नेत्रपाल एवं अशीस कांस्टेबल एवं हरदेश या इन्हीं के सर्कल में गुप्तेश्वर ने अपने जान की खतरा का शिकायत दे चुके थे। इनकी शिकायत पर D.C.P. Traffik ने क्या कार्यवाही की?

दिनांक : 1-5-13

मो० महफूज आलम

प्रार्थी

मो० महफूज आलम
N 71/B 58 पुराना
चन्द्रावल सिविल लाइन्स
दिल्ली 110054

कृपया कोई भी पत्र हिन्दी में जवाब देने का कष्ट करें

1-

Preview Acknowledgment

Confidential

CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

Telegraphic Address:
SATARKTA:New Delhi,
Email:cenvigil@nic.in,
Website:www.cvc.nic.in,
EPABX:24651001-07,
FAX:24646286

Satarkata Bhavan, GPO
Complex, Block A, INA,
New Delhi-110023

Complaint Number : 15150/2012/Vigilance 8 / 181 FT

Date 17/07/2012

To,

Ms. Jameera Devi and others
N71/B28, Civil Lines, Citizens of
Chandrawal , New Delhi, Delhi,
India, PIN-110054,

Subject : Complaint against Sh. Inder singh ,Rakesh Kumar Khari, Delhi Police

Dear Sir/Madam,

Please refer to your letter dated 06.06.2012 on the aforementioned subject.Your complaint has been duly examined by **the Commission and having regards to the nature of the issues raised therein,the same has been forwarded to Pr. Secy (Vig.),** GNCTD for necessary action As such while no further report is required to be sent to the Commission The authorities concerned are required to look into the matter and take action as deemed fit

Yours faithfully ,
Arvind Kumar,
Section Officer

***This is system generated, no signature required**

Print

Inder castable Belt No 1207 N
Rakesh Kumar Belt No
[illegible] P. T. S. No 16950173